This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार, 04 जून, 2022 / 14 ज्येष्ठ, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला–02, 31 मई, 2022

संख्याः राजस्व–घ(ए)1–4/2021–पार्ट (मण्डी).––हिमाचल प्रदेश भू–अभिलेख नियमावली, 1992 के पैरा 3.17 एवं 3.18 में वर्णित/निर्दिष्ट प्रावधानों/मानकों में छूट देते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश तहसील चच्योट, जिला मण्डी के अन्तर्गत वर्तमान पटवार वृत्त सरोआ का विघटन करके नये पटवार वृत्त तान्दी,

(6) of rule 90 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015 the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify in the Official Gazette election of President in respect of Municipal Council, Baddi, Distt. Solan as under:—

Name of Municipal Council	Name & Address of Elected President
Municipal Council, Baddi	Sh. Jassi Ram, Ward No. 8, Municipal Council, Baddi (President).

By order,
Sd/-
(DEVESH KUMAR),
Pr. Secretary (UD).

आवास विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 3 जून, 2022

संख्याः एच0एस0जी0–ए0(3)–6/2020.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर एवं ग्राम योजना विभाग की अधिसूचना संख्याः टी0सी0पी0–ए(3)–1/2016–लूज, तारीख 28 सितम्बर, 2017 द्वारा अधिसूचित और तारीख 07 अक्तूबर, 2017 को राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्:––

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) प्रथम संशोधन नियम, 2022 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **प्ररूप "ठ" का संशोधन.**––हिमाचल प्रदेश भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 से संलग्न प्ररूप "ठ" के क्रम संख्या 33 में "अन्तर्गत नियुक्त अधिनिर्णायक अधिकारी के माध्यम से" शब्दों के स्थान पर "उपबन्धों के अनुसार" शब्द रखे जाएंगे।

आदेश द्वारा,

अक्षय सूद,
सचिव (आवास)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. HSG-A(3)-6/2020/Shimla, dated 3rd June,2022 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

HOUSING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 3rd June, 2022

No. HSG-A (3)-6/2020.—In exercise of the powers conferred by section 84 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (Act No. 16 of 2016), the Governor, Himachal

Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2017 notified *vide* Town and Country Planning Department Notification No. TCP-A(3)-1/2016-Loose, dated 28-09-2017 and published in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh on 07-10-2017, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Real Estate (Regulation and Development) 1st Amendment Rules, 2022.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment in the Form-L.—In FORM 'L' appended to the Himachal Pradesh Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2017, at Serial No. 33, for the words "through the Adjudicating Officer appointed under the Act" the words "as per provisions of the Act" shall be substituted.

By order,

AKSHAY SOOD
Secretary (Housing).

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा, हि0 प्र0

डॉ0 कै0 गुर प्रताप सिंह ढिल्लन पुत्र स्व0 श्री रछपाल सिंह डाईरेक्टर एवं प्रिंसिपल, डलहौजी पब्लिक स्कूल डलहौजी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र राजस्व प्रतिष्टियों की दुरुस्ती बारा इश्तहार।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना–पत्र, अन्य कागजात इस आशय के साथ गुजारा है कि हमने मोहाल बलेरा में विभिन्न विक्रय विलेखों के माध्यम से डलहौजी पब्लिक स्कूल के नाम पर अलग–अलग भूमि क्रय की गई थी और यह सभी विलेख प्रार्थी द्वारा स्कूल का डाईरेक्टर एवं प्रिंसिपल होने के नाते डलहौजी पब्लिक स्कूल के नाम पर पंजीकृत करवाए गए थे। इन विक्रय विलेखों के आधार पर सम्बन्धित भूमियों के अधिकतर इन्तकाल विधिवत डलहौजी पब्लिक स्कूल के नाम पर सत्यापित हो चुके हैं। परन्तु इसी प्रकार के अन्य विक्रय विलेख संख्या 148 दिनांक 29–08–2002, विलेख संख्या 136, दिनांक 27–8–2003, विलेख संख्या 137 दिनांक 29–08–2003 तथा विलेख संख्या 126 दिनांक 12–06–2006 द्वारा क्रय की गई भूमियों से सम्बन्धित इन्तकाल गलती से प्रार्थी के नाम पर सत्यापित कर दिये गये हैं। जोकि गलत है। प्रार्थी इसकी दुरुस्ती करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के राजस्व दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 08–06–2022 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके राजस्व दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।